फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा

सरकार जर्ये थानाधिकारी सीमलिया बनाम बृजमोहन

किस्म मुकदमा : गुण्डा एक्ट नं0 32/2026

2026/54

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.26	थानाधिकारी, आरक्षी केन्द्र थाना **सीमलिया** जिला कोटा द्वारा जर्ये पुलिस अधीक्षक जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध गैरसायल **बृजमोहन पुत्र चतुर्भज जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी सीमलिया थाना सीमलिया जिला कोटा** जिला कोटा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त गैरसायल को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.04.2026 को पेश हो। अति0 जिला मजिस्ट्रेट कोटा, जिला कोटा	670 2/4/26
17/4/26	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल को जारी नोटिस बाद तामील अप्राप्त। इन्तजार नोटिस दफा० दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। हित० कार्यवाही के वास्ते नो० दफा० दिनांक 29/5/26 को पेश हो।	नोटिस 795 8/5/2026
29/5/26	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल को जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ। गैरसायल को जारी नोटिस पर थानाधिकारी सीमलिया द्वारा टिप्पणी कि गई है कि गैरसायल वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह कोटा में बंद है। गैरसायल को सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं होने से इस्तगासा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हो। अति॰ जिला कलक्टर कोटा	

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला ... कोटा (राज.)